न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 162/2022 निर्णय दिनांक 30.08.2022
ऑनलाईन नंबर 2022/192

रामप्यारी पत्नी स्व. भींवा कानाराम पुत्र स्व. भींवा क्ंल मुखी उर्फ परमेश्वरी पुत्री स्व. भींवा सुखी उर्फ रामी पुत्री स्व. भींवा 201 जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम लाखनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
—प्रार्थीगण —

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी —

उपस्थितिः—

1. श्री साजिद खान अभिभाषक प्रार्थी।

2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 117 तादादी 10.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 211 तादादी 3.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 268 तादादी 9.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61 तादादी 9.95 हैक्टेयर (मय गै.मु. रा.0.0600 हैक्टेयर) कुल कीता 4 कुल तादादी 33.83 हैक्टेयर वाकेरोही लाखनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। उक्त खेतों की खातेदारी पहले प्रार्थी संख्या 1 के ससुर व प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के दादा धर्मा पुत्र चोला की खातेदारी के खेत रहे है। खसरा नम्बर 117 के पुराने खसरा नम्बर 86 व खसरा नम्बर 211 के पुराने खसरा नम्बर 147, खसरा नम्बर 268 के पुराने खसरा नम्बर 181 व खसरा नम्बर 61 के पुराने खसरा नम्बर 43 थे। यह है कि प्रार्थी संख्या 1 के ससुर व प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के दादा धर्मा के फौत होने के पश्चात् उक्त खेतों का विरास्तन इन्तकाल धर्मा के वारिसान सूरजा, भूरा, भींवा, खुमाणा प्रत्येक के नाम 1/4 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल संख्या 01 के जरिये दिनांक 22.06.1962 को दर्ज हो गई। प्रार्थिनी संख्वया 01 के पति व प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता भींवा के फौत हो जाने के बाद भींवा के 1/4 हिस्सा की खातेदारी जरिये इन्तकाल संख्या 104 दिनांक 28.05.1992 को प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पुत्र/भाई भंवरा के नाम दर्ज हो गई जिसका जमाबंदी में अंकन सम्तव् 2048—51 में चला आ रहा है। यह है कि वादगत खेतों में सम्वत् 2048--2051 तक तो जमाबंदी में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पुत्रध्भाई भंवरा के नाम खातेदारी में दर्ज रही मगर सम्वत् 2058 की जमाबंदी में राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही से वादगत खेतों में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया व सिर्फ प्रार्थीगण के पुत्र/भाई भंवरा का ही नाम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

किया गया जबकि प्रार्थीगण का नाम भी खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था। वादगत खेतों में प्रार्थीगण का अपने पति/पिता भींवा की 1/4 हिस्सा कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से कब्जा, उपयोग उपभोग लगातार रूप से चला आ रहा है। प्रार्थीगण को जब उपरोक्त खसरा की भूमि पर के. सी. सी. बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व इन्तकाल, जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल आदि की नकले दिनांक 30.06.2022 को निकलवाई तो प्रार्थीगण को सम्पूर्ण जानकारी हुई कि प्रार्थीगण के पैतृक खातेदारी के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 117, 211, 268, 61 वाकेरोही लाखनसर में प्रार्थीगण का नाम ही दर्ज नहीं है। स्व. भींवा के 1/4 हिस्सा की खातेदारी भूमि को सिर्फ प्रार्थीगण के पुत्र/भाई भंवरा के नाम दर्ज कर रखी है जबकि उक्त खसरान भूमि में प्रार्थीगण का नाम भी भींवा की मृत्यु के बाद विरास्तन दर्ज इन्तकाल संख्या 104 के अनुसार दर्ज होना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियों ने सम्वत् 2048 से 2051 तक तो प्रार्थीगण व भंवरा का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया फिर आगे की चौसाला जमाबंदियों में प्रार्थीगण का नाम हटा दिया व सिर्फ भंवरा पुत्र भींवा के अकेले के नाम 1/4 हिस्सा की खातेदारी दर्ज कर दी । राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण का नाम विरास्तन तौर पर दर्ज करने के बाद आगे चौसाला जमाबंदियों में नाम दर्ज नहीं कर गलती की है जो शुद्धि करने योग्य है। उपरोक्त खसरान भूमि में स्व. भींवा के वारिसान के तौर पर प्रार्थीगण का नाम राजस्व जमाबंदियों में दर्ज नहीं होने की जानकारी होने के बाद प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से दिनांक 30.06.2022 को सम्पर्क कर खेत खसरा नम्बर 117, 211, 268, 61 वाकेरोही लाखनसर में प्रार्थीगण का नाम भंवरा पुत्र भींवा के साथ 1/4 हिस्सा के रूप में जोड़कर शुद्धि करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड को देखकर कहा कि सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने आपका नाम भींवा के वारिसान के तौर पर आगे दर्ज नहीं कर भूल कर दी है परन्तु इस प्रकार की भूल को मैं नहीं सुधार सकता, इसके लिए आपको सक्षम न्यायालय से आदेश लाना होगा तभी मैं आपका नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में भींवा के वारिसान के तौर पर भंवरा के साथ अंकन कर सकता हूं। राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा जबकि इसके विपरीत प्रार्थीगण का नाम स्व. भींवा के वारिसान के तौर पर दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उपरोक्त खसरान भूमि पर प्रार्थीगण व भंवरा का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में राजस्व अमला द्वारा प्रार्थीगण का सम्वत् 2052 के बाद की जमाबंदियों में अंकन नहीं कर भूल कर दी जिससे प्रार्थीगण अपनी पैतृक खातेदारी भूमि पर के.सी.सी. ऋण लेने से वंचित हो गये तथा ट्यूब वैल बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व प्रार्थीगण अपनी पैतृक खातेदारी से वंचित हो गये। प्रार्थीगण कानूनन अपनी उपरोक्त पैतृक कृषि भूमि में स्व. भीवां के वारिसान के तौर पर दर्ज हुए इन्तकाल संख्या 104 दिनांकित 28.05.1992 के अनुसरण में वर्तमान खसरा नम्बर 117, 211, 268, 61 रोही ग्राम लाखनसर में दर्ज नाम भंवरा पुत्र भींवा के 1/4 हिस्से के साथ संयुक्त रूप से अपना नाम दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड की शुद्धि करवाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (राजस्थान)

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 117 तादादी 10.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 211 तादादी 3.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 268 तादादी 9.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61 तादादी 9.95 हैक्टेयर (मय गै.मु.रा.0.0600 हैक्टेयर) कुल कीता 4 कुल तादादी 33.83 हैक्टेयर वाकेरोही लाखनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम भंवरा पुत्र भींवा के 1/4 हिस्से के साथ संयुक्त रूप से प्रार्थीगण का नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 117 तादादी 10.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 211 तादादी 3.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 268 तादादी 9.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61 तादादी 9.95 हैक्टेयर (मय गै.मु.रा.0.0600 हैक्टेयर) कुल कीता 4 कुल तादादी 33.83 हैक्टेयर वाकेरोही लाखनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम भंवरा पुत्र भींवा के 1/4 हिस्से के साथ संयुक्त रूप से प्रार्थीगण का नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। रहन यथावत् रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)